ब–अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

रा0वि0 वाद सं0– 05/19–20

पुलकित मंडल बनाम् **सविता देवी वगै0**

–: आदेश :–

18.10.2022

वर्त्तमान वाद की कार्रवाई आवेदक पुलकित मंडल, पे0–बालदेव मंडल व शिवनारायण मंडल, पे0–स्व0 असरफी मंडल, सभी सा0–सिंघाड़ी, अंचल–मेहरमा, जिला–गोड्डा के आवेदन पर मौजा–सिंघाड़ी नं0–04, जमांबदी नं0–05 अंतर्गत कुल रकवा–30–08–10 धूर भूमि पर विपक्षीगण सविता देवी, पति–राजकिशोर कुशवाहा, सागर मंडल, फतुली मंडल, भुथा उर्फ राकेश मंडल, लक्ष्मी देवी, सभी पे0–स्व0 महेन्द्र मंडल, सभी सा0–सिंघाड़ी, अंचल–मेहरमा, जिला–गोड्डा के बीच जमीन बंटवारा हेतु प्रारंभ किया गया है। तद्नुसार उभय पक्ष द्वारा निर्गत नोटिस के विरूद्ध न्यायालय में उपस्थित होकर अपना कागजात दाखिल किया गया तथा अंचल अधिकारी, मेहरमा से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने, अंचल अधिकारी, मेहरमा के पत्रांक–31/रा0, दिनांक–15.01.2022 द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न कागजात के अवलोकनोपरांत स्पष्ट होता है कि उभय पक्ष एक ही जमबंदी रैयत के वंशज है। उक्त मामला आपसी बंटवारा से संबंधित है, जिसका निपटारा सक्षम न्यायालय से अपेक्षित है।

अतः आवेदक द्वारा दाखिल आवेदन को खारिज करते हुए अभिलेख की कार्यवाही बंद की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

18.10.22
अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

18.10.22
अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

Seen by S.C. 31/12/22

Notified. Kumar 11/01/23

Digitally signed by Saurabh Kumar Bhuwania
Date: 2023.02.03 13:46:12 +05:30
Location: 192.168.8.107